2012:CGHC : 10597 DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित
28.03.2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति, एवं**

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रमांक 938/2004

अपीलार्थीगण :
दावाकर्ता

1. जगन्नाथ, आत्मज बुधराम, उम्र लगभग 50 वर्ष
2. श्रीमती बुधनी बाई, पति श्री जगन्नाथ राम, उम्र 45 वर्ष दोनों जाति - बड़ाइक, निवासी तेली-टोली, कॉलेज रोड, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. नंदलाल प्रसाद गुप्ता, आत्मज स्व. शिव गोविंद साव, निवासी कॉलेज रोड, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.) (**स्वामी**)
2. निर्दोष तिग्गा, आत्मज एलिस तिग्गा, उम्र लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय - चालक, ग्राम सन्ना, तहसील बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) (**चालक**)
3. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थानीय शाखा कार्यालय रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (**बीमाकर्ता**)

<u>मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अन्तर्गत अपील का ज्ञापन</u>

उपस्थित: अपीलार्थीगण की ओर से श्री ए.के. प्रसाद एवं श्री ऋषि महोबिया, अधिवक्ता।

उतरवादी क्रमांक 3 की ओर से श्री शैलेंद्र शर्मा, अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

(28 **मार्च**, 2012)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **राजीव गुप्ता**, **मुख्य न्यायाधिपति** द्वारा पारित किया गया**:**

1. मृतक मनीराम के दुर्भाग्यपूर्ण माता-पिता, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जशपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 26/2003 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 20.07.2004 के माध्यम से अधिनिर्णीत प्रतिकर की वृद्धि के लिए हमारे समक्ष इस अपील में अपीलार्थीगण हैं।
2. मृतक मनीराम के दुर्भाग्यपूर्ण माता-पिता, अपीलार्थीगण/दावाकर्ताओं द्वारा 08.06.2003 को मोटर दुर्घटना में हुई उसकी मृत्यु के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका प्रस्तुत कर दावा किए गए ₹27,10,000/- के प्रतिकर के विरुद्ध, अधिकरण ने दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल ₹1,00,000/- की राशि प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है।
3. अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया कि दावाकर्ताओं के पुत्र मनीराम की मृत्यु दिनांक 08.06.2003 को मोटर दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी; यह दुर्घटना पंजीकरण क्रमांक JH-01/C-7155 वाले दुर्घटना करित करने वाले वाहन ऑटो-रिक्शा (पिक-अप वैन) के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी; चूंकि उक्त दुर्घटना करित करने वाला वाहन ऑटो-रिक्शा (पिक-अप वैन) दुर्घटना की तिथि को 'द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' के पास बीमाकृत था और बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के किसी भी उल्लंघन को सिद्ध नहीं कर सकी, अतः बीमा कंपनी दावाकर्ताओं को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी थी।
4. चूंकि उक्त दुर्घटना करित करने वाले वाहन ऑटो-रिक्शा (पिक-अप वैन) के बीमाकर्ता ने आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है, अतः अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों ने अब अंतिमता प्राप्त कर ली है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. अधिकरण ने मृतक की आय ₹750/- प्रति माह निर्धारित की। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में ₹750/- का 1/3 हिस्सा घटाकर, दावाकर्ताओं की निर्भरता ₹500/- प्रति माह और ₹6,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की गई। ₹6,000/- की वार्षिक निर्भरता को 15 के गुणांक से गुणा करके, प्रतिकर की गणना ₹90,000/- की गई। अन्य शीर्षों के तहत ₹10,000/- की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए, अधिकरण ने मोटर दुर्घटना में उनके पुत्र मनीराम की मृत्यु के लिए दावाकर्ताओं को प्रतिकर के रूप में कुल ₹1,00,000/- की राशि अधिनिर्णीत की। अधिकरण ने प्रतिकर की उपरोक्त ₹1,00,000/- की राशि पर दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का निर्देश भी दिया।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. प्रसाद और श्री ऋषि मोहाबिया ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने मृतक की आय के संबंध में दावाकर्ताओं के साक्ष्यों को स्वीकार न करने और उसकी आय केवल ₹750/- प्रति माह निर्धारित करने में; तथा केवल ₹1,00,000/- का कम प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में त्रुटि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, दुर्घटना करित करने वाले वाहन ऑटो-रिक्शा (पिक-अप वैन) के बीमाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 3, 'द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र शर्मा ने अधिनिर्णय का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ₹1,00,000/- का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित प्रतिकर है।

8. यह सत्य है कि दवाकर्ताओं ने यह अभिवचन किया था कि उनका पुत्र मनीराम रिक्शा चालक और श्रमिक के रूप में कार्य करके ₹4,000/- प्रति माह कमाता था, किंतु मृतक के उपरोक्त व्यवसाय और उसकी ₹4,000/- प्रति माह तक की आय को स्थापित करने के लिए अधिकरण के समक्ष कोई भी निश्चित एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। साक्ष्यों की इस स्थिति में, मृतक की आय के संबंध में दावेदारगण के साक्ष्यों को अस्वीकार करने के अधिकरण के दृष्टिकोण में हमें कोई त्रुटि नहीं मिली।

9. इसके बावजूद, अधिकरण द्वारा वर्ष 2003 में मृतक की आय जो ₹750/- प्रति माह निर्धारित की गई है, वह निश्चित रूप से कम है और उस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

10. अधिकरण को मृतक की आय के संबंध में दवाकर्ताओं के साक्ष्यों को अस्वीकार करते समय, उसकी आय का निर्धारण मोटर यान अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 163-ए के तहत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर करना चाहिए था।

11. अधिनियम की धारा 163-क, जिसके तहत 1994 में द्वितीय अनुसूची पुरःस्थापित की गई थी, इस प्रकार है:

> **"[163क. संरचाना सूत्र के आधार पर प्रतिकर के संदाय की बाबत विशेष उपबंध**- (1) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिस या आहत व्यक्ति को, दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।
>
> स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवचन करे या यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है, संबंधित यान या यान के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।
>
> (3) केन्द्रीय सरकार, जीवन निर्वाह की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. धारा 163-क की उपर्युक्त उद्धृत उप-धारा (3) ने केंद्र सरकार को निर्वाह-व्यय को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अनुसूची में समय-समय पर संशोधन करने के लिए बाध्य किया है।

13. चूंकि केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 163-क की उप-धारा (3) में यथा-उपबंधित द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, इसलिए न्यायालय/अधिकरण वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची के पुरःस्थापन और दिए गए मामले में दुर्घटना की तिथि के बीच की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और निर्वाह-व्यय में वृद्धि की न्यायिक अवेक्षा कर सकते हैं।

14. अब वर्तमान मामले पर लौटते हुए, वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिसमें दावकर्ताओं के पुत्र मनीराम की जान चली गई, वर्ष 2003 में हुई थी। यदि वर्ष 1994 और वर्ष 2003 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित ₹15,000/- की काल्पनिक आय निश्चित रूप से वर्ष 2003 में ₹30,000/- हो जाएगी। अतः, हम मृतक की आय ₹30,000/- प्रति वर्ष मानकर प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

15. यह विचार करते हुए कि मृतक मनीराम दुर्घटना की तिथि को अविवाहित था, **सैयद बशीर अहमद एवं अन्य बनाम मोहम्मद जमील एवं अन्य,** जो कि **(2009) 2 एस.सी.सी 225** में प्रतिवेदित है, तथा **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य**, जो कि **(2009) 6 एस.सी.सी 121** में प्रतिवेदित है, के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों के आलोक में, हम मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में उसकी आय का 50% काटना उचित समझते हैं। अतः, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में ₹30,000/- का 50% घटाकर, दवाकर्ताओं की निर्भरता ₹15,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है।

16. यह विचार करते हुए कि दावाकर्ता मृतक के माता-पिता हैं, **म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे बनाम लक्ष्मण अय्यर एवं अन्य,** जो कि **(2003) 8 एस.सी.सी 731** में प्रतिवेदित है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत के आलोक में वर्तमान मामले में 10 का गुणांक उपयुक्त होगा, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन मामलों में जहाँ दावाकर्ता मृतक के माता-पिता हैं, गुणांक कभी भी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

17. ₹15,000/- की वार्षिक निर्भरता को 10 के गुणांक से गुणा करने पर, प्रतिकर की राशि ₹1,50,000/- बनती है। दावाकर्ता अंत्येष्टि व्यय के मद में ₹5,000/- और संपदा की हानि के लिए ₹5,000/- प्राप्त करने के और हकदार हैं। इस प्रकार, दावाकर्ता मोटर दुर्घटना में अपने पुत्र मनीराम की मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में कुल ₹1,60,000/- की राशि प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अधिकरण के समक्ष उस अवधि के संबंध में पक्षकारों के बीच किसी भी संभावित विवाद से बचने के लिए, जिसके लिए दावाकर्ता प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं, प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की मात्रा का निर्धारण इसी अपील में ही कर दिया जाए।

19. मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए, जिसमें दावा याचिका और वर्तमान अपील के निपटारे में हुआ विलंब और यह तथ्य भी शामिल है कि इस मामले में हुए संपूर्ण विलंब के लिए अकेले बीमा कंपनी को ही दोष नहीं दिया जा सकता है, हम प्रतिकर की ₹60,000/- की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की मात्रा ₹10,000/- निर्धारित करते हैं।

20. पूर्वोक्त कारणों से, प्रतिकर में वृद्धि के लिए अपीलार्थीगण/दावाकर्ताओं द्वारा दायर की गई अपील अंशतः स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ₹1,00,000/- के प्रतिकर को बढ़ाकर ₹1,60,000/- किया जाता है, साथ ही प्रतिकर की ₹60,000/- की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की ₹10,000/- की अतिरिक्त निर्धारित राशि भी प्रदान की जाती है।

21. उत्तरवादी क्रमांक 3, 'द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' को कुल ₹70,000/- (सत्तर हजार रुपये मात्र) (₹60,000/- प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि के मद में + ₹10,000/- प्रतिकर की ₹60,000/- की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की निर्धारित राशि के मद में) संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष जमा करने के लिए तीन महीने का समय प्रदान किया जाता है।

22. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

हस्ताक्षरित
मुख्य न्यायाधिपति

हस्ताक्षरित
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Malay Jain